

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/75

दिनांक: 22.06.2016

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00074

CIC/CPIO/CR/2015/AAO

अपीलकर्ता : श्रीमती मूलबाई बिजुभाई चावड़ा,
कमरा सं. 195, सेक्टर-6, गांधीधाम,
कच्छ, गुजरात - 370201.

निर्णय की तारीख : 21.06.2016

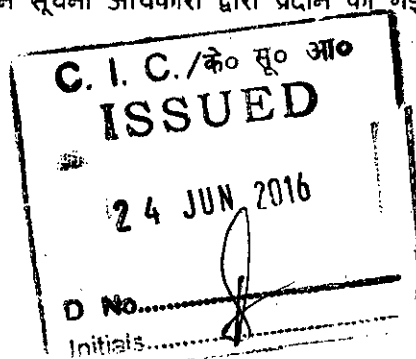
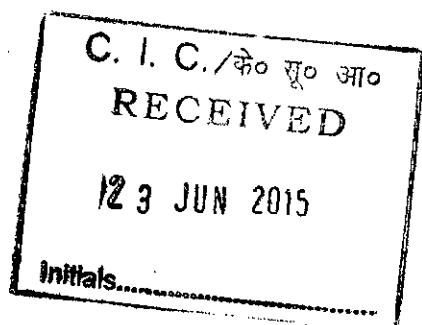
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.03.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	23.07.2015
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री दिनेश कुमार
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	22.08.2015, 12.10.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	108892/27.01.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	47/28.01.2016

1. अपीलकर्ता ने दिनांक 07.03.2015 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपीलकर्ता ने अपनी द्वितीय अपील वापस किए जाने के कारणों के संबंध में सूचना मांगी थी, परन्तु जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना प्रदान नहीं किए जाने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की जिसकी सुनवाई दिनांक 17.07.2015 को सम्पन्न हुई तथा तात्कालीन प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा श्री दिनेश कुमार, उप-निबंधक एवं जन सूचना अधिकारी को 10 कार्य दिवसों के अंदर अपीलकर्ता को यथोचित प्रतिउत्तर प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश के अनुपालन में श्री दिनेश कुमार, उप-निबंधक व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 23.07.2015 को अपीलकर्ता को सूचना प्रदान की गई जिसमें द्वितीय अपील वापस करने के अन्य कारणों के साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि "if the case pertains to State Government, the petition is returned back since CIC has no jurisdiction over it." श्री दिनेश कुमार, जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई इस सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने दिनांक 12.10.2015 पुनः प्रथम अपील दाखिल की है।

3. प्रस्तुत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, परन्तु अपीलकर्ता ने फोन नहीं उठाया। अतः संचिका में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही आदेश जारी किए जाने का निर्णय लिया गया।

4. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन में भी उल्लेख किया है कि " श्री डी. राजगोपालन, मुख्य माहिती कमिशनर, गुजरात राज्य के अपील नं. 3337/2009-10 के दिनांक 12.12.2012 के आदेश की नकल (गुजराती नकल) सामिल की है तथा उसका हिन्दी अनुवाद भी सामिल किया है" से स्पष्ट हो जाता है कि मामला गुजरात राज्य सरकार से ही संबंधित है। अतः श्री दिनेश कुमार, उप-निबंधक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्णतः सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं।



---2/-

5. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अधोहस्ताक्षरी के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण प्रथम अपील के निपटान में हुई देरी के लिए खेद है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री दिनेश कुमार, उप-निबंधक तथा जन सूचना अधिकारी (सेन्ट्रल रजिस्ट्री), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

23/6/16